बिहार सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर,
अपना घर, द्वितीय तल, ललित भवन के पिछे, बेली रोड, बिहार, पटना।
फोन न0.–0612-2546510

पत्रांकः– 1976 दिनांकः– 19-11-2018

प्रेषक,

राज कुमार,
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा,
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम'
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सभी जिला, बिहार।

विषयः कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित ई–सुविधा पोर्टल पर लाभुकों को इंट्री करने में तीव्रता लाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना राज्य की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। **विदित हो की योजना के लाभुकों को सुचारू तथा ससमय भुगतान के लिए इसे ई–सुविधा पोर्टल से जोड़ा गया है** तथा नियमित रूप से जिलों से संपर्क स्थापित कर योजना के लाभुकों की ई–सुविधा पर इंट्री के लिए अनुरोध किया गया है ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रह जाय।

उल्लेखनीय है कि नियमित प्रयास के बावजूद कुछ जिलों में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित एक भी आवेदन की इंट्री नहीं की जा सकी है जो कि अत्यंत खेद का विषय है। उच्च स्तर से उक्त योजना की प्रगति के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है लेकिन कुछेक जिलों से शून्य प्रगति के कारण योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई आ रही है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के ई–सुविधा पोर्टल पर लाभुकों की इंट्री को गति देने की आवश्यकता है जिसके लिए निम्नवत सहयोग की अपेक्षा है:–

1. **ई–सुविधा पोर्टल पर कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभुकों की इंट्री की स्थिति की समीक्षा कर ले तथा सभी स्वीकृत वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चूका है किन्तु राशि reimburse नहीं किया जा सका है, उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वयं के लॉग इन से इंट्री कराना अथवा समेकित कर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री कराना सुनिश्चित किया जाय।**
2. **कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी पंचायत सचिव तथा नगर निकाय क्षेत्र में सभी टैक्स दरोगा अथवा अन्य प्राधिकृत सरकारी कर्मी द्वारा मृत्यु उपरांत लाभुकों से सम्बंधित विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से ई–सुविधा पर संधारित किया जाना है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम के बैंक खाता संख्या में "सक्षम" के राज्य कार्यालय से किया जायेगा।**

3. ई–सुविधा पोर्टल पर कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के इंट्री को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रखंड स्तर से भी इंट्री की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है जिसके लिए लॉग–इन तथा पासवर्ड आदि सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करा दी गई है जिसे ससमय प्रखंड को अवगत कराने की आवश्यकता है ताकि प्रखंड स्तर से इंट्री प्रारंभ हो सके।
4. ई–सुविधा पोर्टल के मार्गदर्शिका के अनुपालन के संबंध में सभी सहायक निदेशक/अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी प्रखंडों को आवश्यक अनुदेश त्वरित आधार पर जारी करने की कृपा की जाय ताकि योजना का सुचारू कार्यान्वयन किया जा सके। संबंधित मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5. ई–सुविधा पोर्टल पर कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभुकों को अभियान के तहत ईंट्री कराने के लिए नियमित रूप से शिविर का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय के स्तर पर किया जाय।

अतः अनुरोध है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतू व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता के आधार पर योजना के योग्य लाभुकों की ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री कराना सुनिश्चित सुनिश्चित किया जाय ताकि सभी लाभुकों को ससमय लाभान्वित किया जा सके।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

(राज कुमार) 19/11/18
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम

ज्ञापांकः- ——— 1976
दिनांकः- 19-11-18

प्रतिलिपि :–

- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण–सह–अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति SSUPSW सक्षम, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- सहायक निदेशक(योजना प्रभारी),सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19/11/18
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम